



Neutral Citation No.-2026:AHC:61318

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9946 वर्ष 2026

शाहे आलम

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : राम राज पांडे, शुभम पांडे

प्रत्यर्थी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री राम राज पांडे, राज्य के विद्वान एजीए श्री बी.पी. मौर्य, को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत आवेदक शाहे आलम, की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 05/2026, धारा 115(2), 333, 352, 109, 351(3), 3(5) बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत, जो थाना सिंभवली, जिला हापुड़, में पंजीकृत किया गया है, में परीक्षण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और परोक्ष उद्देश्य के कारण उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन घायल अफजल की चोटें प्रकृति में सरल पाई गई हैं, जिन्हें आज दाखिल पूरक शपथपत्र द्वारा संलग्न किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कथित हमला शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से पर नहीं पाया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्षियों को प्रभावित करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक, जो 09.01.2026 से जेल में बंद है, ने वचन दिया है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में भारी संख्या में मुकदमों की लंबितता के मद्देनजर, परीक्षण के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं है।

5. इसके विपरीत विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।

6. आवेदक पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन घायल अफजल की चोटें प्रकृति में सरल पाई गई हैं, जिनका विवरण आज दाखिल किए गए पूरक शपथपत्र में संलग्न किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 09.01.2026 से जेल में बंद है।

7. सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने के बाद और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत का मामला बनाता है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

8. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक-शाहे आलम की गिरफ्तारी की स्थिति में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत अनुबंध और उतनी ही राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (1) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (2) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।
- (3) आवेदक, व्यक्तिगत रूप से, विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले को शुरू करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहेगा।
- (4) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (5) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, विचारण न्यायालय साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

मार्च 24, 2026

ऐमन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।